



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 12

(Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>)

01 अगस्त, 2025

मूल्य: 3.00

वार्षिक शुल्क 60रु

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: प.14(155)RSSB/ अर्थना /गृह रक्षा /प्लाटून क./भर्ती/2025

दिनांक: 17-07-2025

विज्ञापन सं. 05 / 2025

प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती - 2025

राज्य सरकार के गृह रक्षा विभाग के लिए राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 (यथा संशोधित) एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम-2014 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्लाटून कमाण्डर के कुल 84 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 82 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 2) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)- 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :-

1. आवेदन प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (Graduation)-2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) दर्ज करना होगा। CET (Graduation)-2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET (Graduation)-2024 के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह (visible body mark) भरना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की ही गलती माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

- अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं/शिकायतों को ईमेल द्वारा pg.rssb@rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन भिजवा सकते हैं।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।
- समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें।

(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 600/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 400/-

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु -रूपये 400/-

नोट:-

- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।
- कार्मिक विभाग (क-2) द्वारा परिपत्र क्रमांक-प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात् एक बारिय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पैनल्टी शुल्क 750/- रूपये देकर अपना एक बारिय पंजीयन (OTR) पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती-परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब पैनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/- रूपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

3. प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए:-

पदों की संख्या	सामान्य वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति					
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्यक्ता
82	23	7	2	—	10	2	1	—	7	2	0	-

अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया जनजाति			
सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
12	3	1	0	3	1	0	-	6	2	-	-	-	-	-	-

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)													
दिव्यांगजन					भूतपूर्व सैनिक					उत्कृष्ट खिलाड़ी			
B/LV	HI	LD/CP	LD/MI/S.L.D & AUTISM, MD	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS				
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	1	1	2	---	1	1		

(ख) अनुसूचित क्षेत्र के लिये :-

No. of Post	सामान्य वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
	सामान्य	आरक्षण	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	आरक्षण	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	आरक्षण	विधवा	परित्यक्ता
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुसूचित क्षेत्र के लिये :-

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन					भूतपूर्व सैनिक					उत्कृष्ट खिलाड़ी		
B/LV	HI	LD/CP	LD/MI/S.L.D & AUTISM, MD	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-		

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जावेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- निदेशालय, गृह रक्षा जयपुर के बैठक दिनांक 19-11-2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक गृमु/ई-1(5)(1-1) 2024-01784/2562-67, अनुसार प्लाटून कमांडर के पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी योग्य नहीं माने गये हैं अथवा दिव्यांगजन हेतु कोई पद आरक्षित नहीं दर्शाये गये हैं।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विशेष प्रावधान/सूचना:-

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्तर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणी किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणी की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियां पश्चात्तर्वती वर्षों में उपलब्ध हो।
 - राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
 - महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक हैं, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:-** विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्वती वर्ष के लिये अग्रणी नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह का प्रमाण तथा पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिटस) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक/अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारां जिले में सहरिया जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा सेवाओं (थल, जल, वायु सेना) से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चात्तर्वती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आभेदन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणी की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।
- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
- 'कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।'
- "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";
- भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाण-पत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणी की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिथिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा

वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रगणित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान:-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने:-

- उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद(एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।'

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र/मिसमेच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**

13. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

निदेशालय, गृह रक्षा जयपुर के बैठक दिनांक 19-11-2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक गूरु/ई-1(5)(1-1) 2024-01784/2562-67, अनुसार प्लाटून कमांडर के पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी योग्य नहीं माने गये हैं अथवा दिव्यांगजन हेतु कोई पद आरक्षित नहीं दर्शाये गये हैं।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही आनलाईन आवेदन भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में सही प्रविष्टि करें।

नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार प्लाटून कमांडर पद हेतु पे-बैंड (2) 9300-34800, ग्रेड पे नंबर-11, पे मैट्रिक्स लेवल L-10 देय है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :-

- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशिक्षण पश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सत्यनिष्ठा अप्रश्नप्रद होने व स्थायीकरण के लिये उपयुक्त होने का समाधान हो जाने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थायीकरण का पात्र होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायब सूबेदार या उससे उपर की रैंक का सम्यक रूप से सेवान्मुक्त भूतपूर्व सैनिक हो।
 - देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,-
- मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
 - साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
 - लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:-

- इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की प्रथम साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व सेवान्मुक्त भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अहर्ता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट एवं टेढ़े-मेढ़े, Blank एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाईन WebTools का प्रयोग कर Srink किये गये, अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किये जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र/डिबार घोषित किया जा सकता है।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक के कॉलम में रोलनम्बर के स्थान पर 'Not Applicable' एवं परिणाम में Grade का चयन कर 'N' Grade अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

अन्य योग्यताएं :-

- स्वास्थ्य:- उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पदके रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
परन्तु शर्त यह है कि बिन्दु संख्या 7(1) में उल्लिखित वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, बोर्ड या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अर्धधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

- अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:-इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

8. आयु:- विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2026 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 25 वर्ष का नहीं हुआ हो।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(घ) भूतपूर्व सैनिक एवं गृह रक्षा स्वयं सेवक हेतु उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

2. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जिसने अपनी दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक आधार पर सेवा की थी और इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था।
3. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में उस भूतपूर्व कैदी के मामले में काटी गई कारावास अवधि के बराबर अवधि की छूट दी जाएगी, जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था।
4. सेवा में किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति आयु सीमा के भीतर माने जाएंगे यदि वे आरंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के भीतर थे, भले ही वे चयन बोर्ड के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने पर आयु सीमा पार कर चुके हों और यदि वे अपनी आरंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।
5. सेना से मुक्त होने के बाद रिहा किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी आयु सीमा के भीतर माने जाएंगे, भले ही वे चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन में शामिल होने के समय इस प्रकार पात्र थे।
6. विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

नोट:-

- (क) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ख) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 6 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 6 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (ग) राजस्थान सेवा के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिये नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. पेंशन:- नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन:- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 23.07.2025 से दिनांक 21.08.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2025 से दिनांक 21.08.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. परीक्षा आयोजन :- बोर्ड द्वारा प्लाटून कमाण्डर के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण कि लिखित परीक्षा दिनांक 22.11.2025 को ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित कि जाएगी। एक से अधिक चरणों में परीक्षा होने पर नोर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

13. प्रवेश पत्र:- बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु

- i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
- ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- iii. किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- v. इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांटे-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

- 1- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- 2- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 3- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग

विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

- 4- किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- 5- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- 6- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 7- अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

लाइव फोटो करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- b. आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो Capture कर आवेदन को Submit किया जाना आवश्यक है।
- c. लाइव फोटो के लिये 5 सेकण्ड के Timer के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी पलक दो-तीन बार झपकाएँ, यदि आपकी फोटो बन्द आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
- d. फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मों के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मों पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो।
- e. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीय पृष्ठभूमि (Enlightened Background) के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय (Blurred/Dark) नहीं है।
- f. जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार Final Submit किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।
- g. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- h. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- i. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और टोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- j. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।

- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय लाईव फोटो से फोटो एडिटर एप से किसी भी प्रकार की छेड़ खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
 - आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 - आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 - जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
 - मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। बिना सक्षम/दस्तावेजों के भेजी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञापित में बताई जायेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्वाही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहाँ मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जो कि समय समय पर अपडेट किया जाता है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापित दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरे। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन बन्द होने की दिनांक के पश्चात् 03 दिवस की अवधि में भी आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी। आवेदक निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अलावा शेष सभी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। आवेदन में शैक्षणिक योग्यता में प्रथमतः अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व, 07 दिवस हेतु प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी OTR के समय दर्ज की गई सूचनाओं (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग) तथा फोटो, हस्ताक्षर तथा शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। परीक्षा आयोजन के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- विधवा श्रेणी के अभ्यर्थी-ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मय 300/- रुपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विधवा होती है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

18. ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:-बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को

परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेगा। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

19. श्रुत लेखन की सुविधा :-

निदेशालय, गृह रक्षा जयपुर के बैठक दिनांक 19-11-2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक गृमु/ई-1(5)(1-1) 2024-01784/2562-67, अनुसार प्लाटून कमांडर के पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी योग्य नहीं माने गये हैं अथवा दिव्यांगजन हेतु कोई पद आरक्षित नहीं दर्शाये गये हैं। अतः श्रुत लेखन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरे।
- अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
- आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-

“यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”

vi. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
- किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा लेकिन ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक ही किया जा सकता है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीय आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीय आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता अवधि के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11(0)/आ.क. व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आय, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।
- विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- xiv. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- xv. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।
- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम :- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षडयंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रति करने पर न्यूनतम दस वर्ष के कारावास जो कि आजीवन तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, से दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. प्लाटून कमाण्डर के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

Scheme of Examination and Syllabus for Platoon Commander Competitive Examination-2025

क्र.सं.	प्रश्न पत्र	विषय	अवधि	अधिकतम अंक	प्रश्नों की संख्या
1.	प्रश्न पत्र-I	सामान्य हिन्दी	3 घंटे	200	150
2.	प्रश्न पत्र-II	सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान	3 घंटे	200	150

Pattern of Question Paper:

- It will be mandatory to get minimum 36 % marks in each question paper of the written examination and 40% marks in total.
- There will be multiple choice (Objective Type) Questions.
- All questions carrying equal marks.
- There will be negative marking. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.

PAPER-I HINDI

1	शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद , समास, उपसर्ग, प्रत्यय ।
2	शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी । (ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)
3	शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम , शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
4	शब्द शुद्धि।
5	व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग , वचन, पुरुष, काल, वृत्ति (mood), पक्ष (Aspect), वाच्य (Voice)
6	वाक्य रचना।
7	वाक्य शुद्धि।
8	विराम चिह्नों का प्रयोग।
9	मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
10	पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)।

PAPER-II

GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL SCIENCE

History, Art, Culture, Literature, Tradition & Heritage of Rajasthan	
Major Landmarks in the History of Rajasthan, Major Dynasties, their Administrative and Revenue System. Socio-cultural Issues.	
Freedom Movement, Political Awakening and Integration	
Salient features of Architecture – Forts and Monuments.	
Arts, Paintings and Handicrafts. Important Works of Rajasthani literature. Local Dialects.	
Fairs, Festivals, Folk Music and Folk Dances.	
Rajasthani Culture, Traditions and Heritage.	
Religious Movements, Saints & Lok devtas of Rajasthan.	
Important Tourist Places. Leading Personalities of Rajasthan.	
Indian History	
Ancient & Medieval Period:	
<ul style="list-style-type: none"> Salient features and Major Landmarks of Ancient and Medieval India. Art, Culture, Literature and Architecture. Major Dynasties, Their Administrative System. Socio-Economic Conditions, Prominent Movements. 	
Modern Period:	
<ul style="list-style-type: none"> Modern Indian history (from about the middle of the eighteenth century until the present)- significant events, personalities and issues. The Freedom Struggle & Indian National Movement- its various stages and important contributors and contributions from different parts of the country. Social and religious reform movements in the 19th and 20th century. Post-independence consolidation and reorganization within the country. 	
Geography of World and India	
World Geography:	
<ul style="list-style-type: none"> Broad Physical features. Environmental and Ecological Issues. Wildlife and Bio-diversity. International Waterways. Major Industrial Regions. 	
Geography of India:	
<ul style="list-style-type: none"> Broad physical features and Major physiographic divisions. Agriculture and Agro based Activities. Minerals – Iron, Manganese, Coal, Oil & Gas, Atomic minerals. Major Industries and Industrial development. Transportation– major transport corridors. Natural Resources. Environmental Problems and Ecological Issues. 	
Geography of Rajasthan	
<ul style="list-style-type: none"> Broad physical features and Major physiographic divisions. Natural Resource of Rajasthan. Climate, Natural Vegetation, Forests, Wildlife and Bio-diversity. Major irrigation projects. Mines and Minerals. Population. Major Industries and Potential for Industrial Development. 	
Indian Constitution, Political System & Governance	
Constitutional Development & Indian Constitution :	
Government of India Acts: 1919 and 1935, Constituent Assembly, Nature of Indian Constitution; Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles of State, Fundamental Duties, Federal Structure, Constitutional Amendments, Emergency Provisions, Public Interest Litigation (P.I.L.) and Judicial Review.	
Indian Political System and Governance :	
Nature of Indian State, Democracy in India, Reorganization of States, Coalition Governments, Political Parties, National Integration.	
Union and State Executive; Union and State Legislative, Judiciary.	
President, Parliament, Supreme Court, Election Commission, Comptroller and Auditor General, Planning Commission, National Development Council, Central Vigilance Commission (CVC), Central Information Commission, Lokpal, National Human Rights Commission (NHRC).	
Local Self Government & Panchayati Raj.	
Public Policy & Rights :	
<ul style="list-style-type: none"> National Public Policy as a welfare state. Various Legal Rights and Citizen Charter. 	

Political and Administrative System of Rajasthan

Governor, Chief Minister, State Assembly, High Court, Rajasthan Public Service Commission, District Administration, State Human Rights Commission, Lokayukt, State Election Commission, State Information Commission.

Public Policy, Legal Rights and Citizen Charter.

Knowledge about crimes against women and children and legal provisions/rules relating to it.

Economic Concepts and Indian Economy**Basic Concepts of Economics :**

- Basic Knowledge of Budgeting, Banking, Public Finance, National Income, Growth and Development.
- Accounting- Concept, Tools and Uses in Administration.
- Stock Exchange and Share Market.
- Fiscal and Monetary Policies.
- Subsidies, Public Distribution System.
- E-Commerce.
- Inflation- Concept, Impact and Control Mechanism.

Economic Development & Planning :

- 5 Year Plans - Objectives, Strategies and Achievements.
- Major Sectors of Economy- Agriculture, Industry, Service and Trade- Current Status, Issues & initiatives.
- Major Economic Problems and Government Initiatives. Economic Reforms and Liberalization.

Human Resource and Economic Development :

- Human Development Index.
- Poverty and Unemployment:- Concept, Types, Causes, Remedies and Current Flagship Schemes.

Social Justice and Empowerment:

Provisions for Weaker Sections.

Economy of Rajasthan

- Macro overview of Economy.
- Major Agricultural, Industrial and Service Sector Issues.
- Growth, Development and Planning.
- Infrastructure & Resources.
- Major Development Projects.
- Programmes and Schemes- Government Welfare Schemes for SC/ST/Backward Class/Minorities/Disabled Persons, Destitute, Women, Children, Old Age People, Farmers & Labourers.

Science & Technology

- Basics of Everyday Science.
- Electronics, Computers, Information and Communication Technology.
- Space Technology including Satellites.
- Defence Technology.
- Nanotechnology.
- Human body, Food and Nutrition, Health care.
- Environmental and Ecological Changes and its Impacts.
- Biodiversity, Biotechnology and Genetic Engineering.
- Agriculture, Horticulture, Forestry and Animal Husbandry with special reference to Rajasthan.
- Development of Science and Technology in Rajasthan.

Reasoning & Mental Ability**Logical Reasoning (Deductive, Inductive, Abductive):**

- Statement and Assumptions, Statement and Argument, Statements and Conclusion, Courses of Action.
- Analytical Reasoning.

Mental Ability :

Number series, Letter series, Odd man out, Coding-Decoding, Problems relating to Relations, Shapes and their sub sections.

Basic Numeracy :

- Elementary knowledge of Mathematical and Statistical Analysis.
- Number System, Order of Magnitude, Ratio and Proportion, Percentage, Simple and Compound Interest, Data Analysis (Tables, Bar diagram, Line graph, Pie-chart).

Current Affairs

- Major Current Events and Issues of State (Rajasthan),
- National and International Importance.
- Persons and Places in recent news.
- Games and Sports related Activities.

प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु चयन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम**1. लिखित परीक्षा :- कुल अंक-400****2. शारीरिक मापतौल**

कोई भी अभ्यर्थी जिसकी उंचाई 168 से.मी. से कम है और सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ जिसका बिना फुलाया हुआ सीना 81 से.मी. से कम और फुलाया हुआ सीमा 86 से.मी. से कम है, (महिलाओं को छोड़कर) शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं समझा जायेगा, परन्तु :-

- (1) पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम उंचाई क्रमशः 160 से.मी. और 140 से.मी. से कम नहीं होगी पुरुषों के लिए सीने का माप न्यूनतम 79 से.मी. एवम् 5 से.मी. फुलाव के साथ 84 से.मी. होगा तथा महिला अभ्यर्थियों का वजन 43 कि.ग्रा. से कम नहीं होगा।
- (2) सामान्य क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों की उंचाई और वजन क्रमशः 152 से.मी. और 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होगा।
- (3) यदि उपरोक्त यथा अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मानक रखने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी उंचाई और सीने का माप 5 से.मी. तक कम है, उन्हें (पुरुष) सीने के न्यूनतम 5 से.मी. के फुलाव के साथ शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा।

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा :- कुल अंक-100

लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें उत्तीर्णांक 50 अंक होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले परीक्षण निम्न प्रकार होंगे।

(अ) पुरुषों के लिये :

क्र.सं.	नाम परीक्षण	विवरण	अंक
1.	100 मीटर दौड़	14 सेकण्ड	40
		15 सेकण्ड	30
		16 सेकण्ड	20
		16 सेकण्ड से अधिक	00
2.	लम्बी कूद	15 फीट एवम् अधिक	20
		14 फीट	15
		13 फीट	10
		13 फीट से कम	00
3.	चिनिंग अप (बीम)	10 चिनिंग अप	20
		08 चिनिंग अप	15
		06 चिनिंग अप	10
		06 चिनिंग अप से कम	00
4.	दण्ड (Pushups) अथवा बैठक (Squats)	75 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	20
		65 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	15
		55 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	10
		55 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड से कम	00
		75 बैठक 1 मिनट	20
		65 बैठक 1 मिनट	15
		55 बैठक 1 मिनट	10
		55 बैठक 2 मिनट से कम	00

(ब) महिलाओं के लिये :

क्र.सं.	नाम परीक्षण	विवरण	अंक
1.	100 मीटर दौड़	17 सेकण्ड	40
		18 सेकण्ड	30
		19 सेकण्ड	20
		19 सेकण्ड से अधिक	00
2.	लम्बी कूद	10 फीट	20
		09 फीट	15
		08 फीट	10
		08 फीट से कम	00
3.	चिनिंग अप (बीम)	07 चिनिंग अप	20
		06 चिनिंग अप	15
		05 चिनिंग अप	10
		05 चिनिंग अप से कम	00
4.	गोला फैंक (04 किलोग्राम) (Putting in Shot Wt. 04 KG)	16 फीट	20
		15 फीट	15
		14 फीट	10
		14 फीट से कम	00

(स) भूतपूर्व सैनिकों के लिये :

क्र.सं.	नाम परीक्षण	विवरण	अंक
1.	100 मीटर दौड़	17 सेकण्ड	40
		18 सेकण्ड	30
		19 सेकण्ड	20
		19 सेकण्ड से अधिक	00
2.	लम्बी कूद	13 फीट एवम् अधिक	20
		12 फीट	20
		11 फीट	10
		11 फीट से कम	00
3.	चिनिंग अप (बीम)	08 चिनिंग अप	20
		06 चिनिंग अप	15
		04 चिनिंग अप	14
		04 चिनिंग अप से कम	00
4.	दण्ड (Pushups) अथवा बैठक (Squats)	60 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	20
		50 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	15
		40 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड	10
		40 दण्ड 2 मिनट 30 सेकण्ड से कम	00
		60 बैठक 1 मिनट	20
		50 बैठक 1 मिनट	15
		40 बैठक 1 मिनट	10
		40 बैठक 2 मिनट से कम	00

4. साक्षात्कार :- 50 अंक

लिखित परीक्षा एवम् शारीरिक दक्षता परीक्षा में रिक्रियों के 03 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा। साक्षात्कार 50 अंको का होगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिखित, दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवम् साक्षात्कार के अंक जोड़े जायेंगे, जो अभ्यर्थी समस्त पूर्णांक का 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें ही अन्त में सफल घोषित किया जावेगा एवम् उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अन्तिम वरियता सूची जारी की जावेगी। परन्तु भर्ती बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों/अति पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सिफारिश कर सकेगा, जिन्हें न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद बोर्ड द्वारा प्रशासन की दक्षता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है यदि वे साक्षात्कार में 12.5 प्रतिशत अंक और यथास्थिति कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं।

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जायेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened up to 10% of total questions, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पाँच गोलों में से किसी भी गोले को गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified

6. अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक (ओएमआर) की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाये उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

Candidate are advised to keep the carbon copy of the OMR sheet safely in their custody till completion of the final result declaration process and produce before the Board whenever asked for. In case of noncompliance action can be initiated against the candidate.

23. बोर्ड की वेबसाइट :- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा। अभ्यर्थी बोर्ड की भर्तियों से संबंधित अपनी परिवेदना/प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल आई. डी. PG.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित करें।

(डॉ. बी.सी. बघाल)
सचिव

DIPR/C/9961/2025

रा.रो.स.15/2025

संक्षिप्त विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्र. सं. संक्षिप्त वि.सं. 03-07/Exam/AEn (Agri)/V.O./SI-Platoon Commander/Lecturer-Coach/Sr. Teacher/ RPSC/EP-I/2025-26 दिनांक: 17.07.2025

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न सेवा नियमों के अन्तर्गत 05 विज्ञापनों के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उक्त विज्ञापनों के तहत विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता, शिमागवार पदों की संख्या, वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पृथक-पृथक विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। इन विज्ञापनों के तहत विज्ञापित पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विज्ञापन संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विज्ञापन संख्या	पदों की संख्या	आवेदन अवधि
1	कृषि विभाग	सहायक कृषि अभियंता	03/2025-26	281	28.07.2025 से 26.08.2025
2	पशुपालन विभाग	पशुचिकित्सा अधिकारी	04/2025-26	1100	05.08.2025 से 03.09.2025
3	गृह (ग्रुप-1) विभाग	उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर	05/2025-26	1015	10.08.2025 से 08.09.2025
4	माध्यमिक शिक्षा विभाग	प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा)	06/2025-26	3225	14.08.2025 से 12.09.2025
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग	वरिष्ठ अध्यापक	07/2025-26	6500	19.08.2025 से 17.09.2025

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. - 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

DIPR/C/9955/2025

रा.रो.स.13/2025

(रामनिवास मेहता)



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Corporate Identity Number (CIN) - U40102RJ2000SGC016484
Regd. Office & H.O.: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005
No: RVUN/P&A/Rectt./F.101/D. 166 July 17, 2025

CORRIGENDUM NOTICE
Common Recruitment for Technician-III (ITI)/ Operator-III (ITI)/ Plant Attendant-III (ITI) in State Power Companies of Rajasthan
(Advertisement No. RVUN/Rectt.- 2024/04)

A short advertisement bearing no. RVUN/Rectt.-2024/01 was published in newspapers on 12.12.2024 for recruitment to various posts in Power Companies of Rajasthan. Detailed advertisement (no. RVUN/Rectt./03) for recruitment to the posts of Technician-III(ITI)/ Operator-III(ITI)/ Plant Attendant-III(ITI) was published vide no. RVUN/P&A/Rectt./F.101/D.338 dated 20.02.2025, read with corrigendum no. RVUN/P&A/ Rectt./F.101/D.79 dated 08.04.2025.

In the meantime, vacancies of Technician-III (ITI) have increased as detailed hereunder:-

S. No.	Name of Vidyut Nigams	Vacancies earlier advertised	Additional Vacancies	Total Vacancies
1	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	150	-	150
2	Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	66	537	603
3	Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd.	-	498	498
4	Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	-	912	912
Total		216	1947	2163

(These vacancies include backlog & TSP Areas vacancies.)

Accordingly, the process for submitting online application forms will be reopened for which revised Nigam-wise and category-wise vacancies along with comprehensive advertisement describing terms & conditions, procedure & schedule for filling-up online applications, eligibility criteria (viz. age, requisite educational qualifications, admissible relaxations), selection process, etc. will be uploaded on following websites in August, 2025:-

<https://energy.rajasthan.gov.in> <https://energy.rajasthan.gov.in/rvun>
<https://energy.rajasthan.gov.in/rvnpn> <https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl>
<https://energy.rajasthan.gov.in/jdvvn1> <https://energy.rajasthan.gov.in/avvn1>

Note:-

(i) Those candidates, who have already applied and paid application fee, are not required to re-submit their new application. Their previous application (if the fee was paid successfully) shall be considered as valid application. However, such candidates:-

(a) Will be required to submit details of their Aadhaar Card, etc. for which a link will be provided on the above websites. In case of failing to submit such details, their previous application will not be treated as valid and their candidature will be treated as cancelled without any further intimation in this regard;

(b) will be allowed to modify their preferences for Vidyut Nigams; and

(c) if belong to TSP Areas of Rajasthan, will be required to submit their details in this regard, failing which their candidature will be considered against vacancies of Non-TSP areas only.

(ii) Other willing candidates will be required to submit their online applications through above websites.

Link for filling-up online applications will be made available on the above websites in August, 2025. Only online applications uploaded through these official websites shall be entertained.

Candidates are advised to remain in constant touch with the above websites of Vidyut Nigams. All recruitment-related notifications including dates, activities, instructions, guidelines, modifications/ changes, if any, etc. shall be notified only on these websites. **RVUN/PR-4228**

Recruitment Helpline No. 91+94140 56655
(During 10:00 AM to 5:00PM on all Working Days) **Chief Personnel Officer**
Raj.Samwad/C/25/6374 रा.रो.स.14/2025 **RVUN, Jaipur**

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वें ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी

सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता: सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail—adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक (प्रकाशन) द्वारा मितशयोर टेक्नोलॉजीज एलएलपी, बी. 121 मंगल मार्ग बापूनगर, जयपुर 302015 (राज.) (प्रिंटिंग प्रेस, बी.-26 विजय मुकुन्दपुरा नायला रोड, कानोता, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक— डॉ. संजीव सोलंकी